भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1573
(02 जुलाई, 2019 को उत्तर दिए जाने के लिए)

प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना

1573. श्री ए. राजाः

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान और वर्तमान वर्ष के दौरान देश भर में प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत निर्मित मकानों की संख्या का तमिलनाडु सहित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;
(ख) उक्त अवधि के दौरान इस योजना के अंतर्गत स्वीकृत, आवंटित और उपयोग की गयी निधि का तमिलनाडु सहित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;
(ग) इस योजना के अंतर्गत अब तक निर्धारित किए गए लक्ष्यों और उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है;
(घ) इस योजना के अंतर्गत अब तक गरीबों और गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को आवंटित मकानों की संख्या का ब्यौरा क्या है;
(ङ) क्या इस योजना के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त नहीं किया गया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गयी है; और
(च) क्या इन योजनाओं की प्रगति कुछ राज्यों में बहुत धीमी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
ग्रामीण विकास मंत्री
(श्री नरेन्द्र सिंह तोमर)

(क) और (ख) : पिछले 3 वर्षों (2016-17, 2017-18 और 2018-19) तथा वर्तमान वर्ष (2019-20) के दौरान प्रधान मंत्री आवास योजना - ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) के अंतर्गत निर्मित मकानों की संख्या, रिलीज और उपयोग की गई निधियों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा, जिसमें तमिलनाडु राज्य शामिल है, अनुबंध-I और II में दर्शाया गया है।

(ग) : वर्ष 2022 तक "सभी के लिए आवास" के उद्देश्य की पूर्ति के लिए पूर्ववर्ती ग्रामीण आवास योजना को प्रधान मंत्री आवास योजना-ग्रामीण के रूप में पुनर्गठित कर दिया गया है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए वर्ष 2021-22 तक पीएमएवाई-जी के अंतर्गत बनाए जाने वाले मकानों की लक्षित संख्या 2.95 करोड़ है, जिसकी पूर्ति चरणों में की जानी है। पहले चरण में वर्ष 2016-17 से 2018-19 तक तीन वर्षों में 1.00 करोड़ मकानों का निर्माण कार्य शुरू किया गया और दूसरे चरण में वर्ष

2019-20 से 2021-22 तक तीन वर्षों की अवधि में 1.95 करोड़ मकानों का निर्माण किए जाने का लक्ष्य है। दिनांक 27 जून, 2019 तक पीएमएवाई-जी के अंतर्गत कुल 1,00,93,550 मकान स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें से 81,45,763 मकानों का निर्माण कार्य संपन्न हो गया है।

(घ) : प्रधान मंत्री आवास योजना - ग्रामीण (पीएमएवाई-जी के अंतर्गत) लाभार्थियों का निर्धारण सामाजिक-आर्थिक और जाति-आधारित जनगणना (एसईसीसी) - 2011 के आंकड़ों के अनुसार आवास एवं सामाजिक-आर्थिक अभाव पैरामीटरों के आधार पर किया जाता है। तदनुसार सभी बेघर और शून्य, 1 एवं 2 कमरों के कच्चे मकानों में रहने वाले परिवारों को एसईसीसी-2011 के अनुसार बहिर्वेशन पैरामीटरों के अधीन पीएमएवाई-जी के अंतर्गत सहायता दी जाती है। दिनांक 27 जून, 2019 तक पात्र अभावग्रस्त ग्रामीण परिवारों को पीएमएवाई-जी के अंतर्गत कुल 1,00,93,550 मकान स्वीकृत किए गए हैं।

(ड.) और (च) : पीएमएवाई-जी के अंतर्गत वर्ष 2022 तक 2.95 करोड़ पक्के मकानों के निर्माण का लक्ष्य तय किया गया है। वर्ष 2022 तक इस लक्ष्य की पूर्ति के उद्देश्य से सरकार द्वारा किए गए उपाय इस प्रकार हैं:-

i. सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में पीएमएवाई-जी का राज्य नोडल खाता नामक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्तरीय बैंक खाता है, जिससे सहायता राशि सीधे लाभार्थी को निधि अंतरण आदेश के माध्यम से अंतरित की जाती है और इससे लाभार्थी को निधियों का निरंतर एवं शीघ्र अंतरण सुनिश्चित हो पाता है।
ii. इस योजना के कार्यान्वयन और निगरानी जैसे कार्य संपूर्ण ई-शासन मॉडल के माध्यम से किए जाते हैं। लाभार्थियों के निर्धारण से लेकर मकानों का निर्माण कार्य संपन्न करने तक इस योजना के कार्यान्वयन से जुड़े सभी कार्यकलाप एमआईएस-आवास सॉफ्ट के माध्यम से किए जाते हैं।
iii. मकान के निर्माण के प्रत्येक पूर्व-निर्धारित चरण में जियोटैग किए हुए फोटोग्राफों की आवास ऐप नामक मोबाइल ऐप के माध्यम से अपलोडिंग के द्वारा मकान के निर्माण की साक्ष्य आधारित निगरानी। इससे मकान के निर्माण के सत्यापन मे लगने वाली समयावधि को कम करने में मदद मिली है, जिसके परिणामस्वरूप सहायता राशि अपेक्षाकृत शीघ्र जारी किए जाने से मकानों का निर्माण कार्य समय पर संपन्न हो रहा है।
iv. 'व्यावसायिक' ग्रामीण राजमिस्त्री प्रशिक्षण कार्यक्रम का कार्यान्वयन करके प्रशिक्षित ग्रामीण राजमिस्त्रयों की उपलब्धता बढ़ाना, जिससे अधिक तेजी से गुणवत्तापूर्ण मकानों के निर्माण में मदद मिली है।
v. मकानों के निर्माण की निगरानी और समय पर समापन की स्थिति में सुधार के लिए पीएमएवाई-जी के अंतर्गत स्वीकृत प्रत्येक मकान स्थानीय कार्यकर्ता को सौंपा जाना।
vi. निष्पादन इंडैक्स डेश बोर्ड के आधार पर सर्वोत्तम कार्यनिष्पादन करने वाले राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को पुरस्कार प्रदान करना, जिससे निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति की दिशा में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के बीच सकारात्मक उपयोगिता और प्रेरणा का माहौल तैयार हुआ है।

****

अनुबंध-I

लोक सभा में प्रधान मंत्री ग्रामीण आवास योजना के विषय में 02.07.2019 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत अतारांकित प्रश्न सं. 1573 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

पीएमएवाई-जी के अंतर्गत निर्मित मकानों की संख्या

क्र.सं.	**राज्य का नाम**	**2016-17**	**2017-18**	**2018-19**	**2018-19**
1	अरुणाचल प्रदेश	82	0	0	0
2	असम	154914	22729	0	0
3	बिहार	375650	198460	0	0
4	छत्तीसग□	224360	198414	258437	0
5	गोवा	17	0	0	0
6	गुजरात	98940	76337	0	6
7	हरियाणा	8374	3795	0	0
8	हिमाचल प्रदेश	4552	2004	0	0
9	जम्मू और कश्मीर	9268	5918	0	0
10	झारखंड	212040	135179	106551	0
11	केरल	12526	3307	0	0
12	मध्य प्रदेश	421638	366292	522646	0
13	महाराष्ट्र	197152	107757	35695	4
14	मणिपुर	6878	0	0	0
15	मेघालय	10546	21	0	0
16	मिजोरम	2233	0	0	0
17	नागालैंड	0	0	0	0
18	ओडिशा	350649	287596	188553	0
19	पंजाब	9495	3705	0	0
20	राजस्थान	240078	209512	186602	0
21	सिक्किम	1016	0	0	0
22	तमिलनाडु	115653	54674	3587	0
23	त्रिपुरा	22715	1144	0	0
24	उत्तर प्रदेश	558769	379451	304023	0
25	उत्तराखंड	8270	3811	0	0
26	पश्चिम बंगाल	422652	364668	524589	0
27	अण्डमान और निकोबार	0	0	0	0
28	दादर और नगर हवेली	56	99	37	0
29	दमन और दीव	0	13	0	0
30	लक्षद्वीप	0	0	0	0
31	पुदुचेरी	0	0	0	0
32	आंध्र प्रदेश	40338	4971	0	0
33	कर्नाटक	38738	37577	0	0
34	तेलंगाना	0	0	0	0
	कुल	**3547599**	**2467434**	**2130720**	**10**

अनुबंध-II

लोक सभा में प्रधान मंत्री ग्रामीण आवास योजना के विषय में 02.07.2019 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत अतारांकित प्रश्न सं. 1573 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

पीएमएवाई-जी के अंतर्गत रिलीज और उपयोग की गई निधियों का ब्यौरा

(रु. लाख में)

क्र.सं.	राज्य	2016-17		2017-18		2018-19		2019-20	
		केंद्रीय रिलीज	उपयोग*	केंद्रीय रिलीज	उपयोग*	केंद्रीय रिलीज	उपयोग*	केंद्रीय रिलीज	उपयोग*
1	आंध्र प्रदेश	21712.785	16706.827	35192.885	26454.131	18605.43	25609.525	0	976.2
2	अरुणाचल प्रदेश	5412.3	0	1210.97	0	0	0	0	0
3	असम	132197.898	64360.634	166961.67	164213.9	24408.4	116401.605	0	8402.1
4	बिहार	211427.064	62255.395	60257.06	389557.395	444931.907	595384.518	0	77336.89
5	छत्तीसगढ़	83815.912	79489.263	262507.14	421901.832	263695.439	400271.681	0	42291.39
6	गोवा	284.785	353.4	0	36.95	0	63.3	0	15.3
7	गुजरात	36527.407	10354.155	53264.22	124438.045	68219.85	85908.685	0	9277.4
8	हरियाणा	7414.461	8632.26	2153.84	17782.16	2839.56	4631.63	0	1523.28
9	हिमाचल प्रदेश	3253.818	2450.35	5087.875	4029.93	1468.94	3488.44	0	59.41
10	जम्मू और कश्मीर	8033.007	2.25	4982.112	9571.5	22683.11	18614.3	0	4073.4
11	झारखंड	79630.141	42894.843	162629.855	315889.65	173352.475	278384.99	0	14586.12
12	कर्नाटक	27863.995	804.18	59304.625	53789.277	18822.48	59463.958	0	1859.37
13	केरल	10049.44	16628.111	2140.78	13537.853	0	5128.555	0	310.8
14	मध्य प्रदेश	170114.866	198105.057	487626.83	795711.815	425042.66	759147.998	0	18446.62
15	महाराष्ट्र	73566.023	97724.762	110207.766	229734.956	113552.93	209438.628	0	20117.77
16	मणिपुर	5767.41	1347.45	5855.296	7113.648	429.975	5225.04	0	341.26
17	मेघालय	8078.23	1221.639	4273.762	11650.067	12621.33	11380.251	0	2271.23
18	मिजोरम	2482.986	518.25	644.25	2646.51	2923.83	808.672	0	0
19	नागालैंड	4676.217	0	832.99	16.9	0	3922.6	0	276.9
20	ओडिशा	149452.934	72912.92	312405.903	585156.215	329032.43	458571.18	0	27259.75
21	पंजाब	7559.1	377.09	1602.06	3480.637	0	13235.656	0	440.4
22	राजस्थान	87153.102	73389.595	189566.23	432208.19	234013.32	319087.1	0	24116.07
23	सिक्किम	1190.605	201.65	0	1058.85	0	576.05	0	13
24	तमिलनाडु	69059.77	23195.332	84848.578	113191.933	50279.81	141493.999	0	18529.94
25	तेलंगाना	14263.335	0	4815.53	0	0	0	0	0
26	त्रिपुरा	13455.455	3482.007	18316.45	25118.733	765.98	10693.928	6246.923	448.39
27	उत्तर प्रदेश	223980.445	133461.447	494806.433	1027904.955	277585.808	477877.383	2787.009	7308.6
28	उत्तराखंड	7484.09	4996.55	1381.4	8162.307	9598.3	6378.864	0	352.8
29	पश्चिम बंगाल	139363.741	173128.457	455666.018	797224.14	437284.79	776420.95	149400	16024.92
30	अ. और नि.	196.37	0	33.07	0	0	0	0	0
31	दादर और नगर हवेली	282.83	0	330.88	55.2	946.97	905.6	0	564.8
32	दमन और दीव	49.88	0	8.74	10.4	0	5.892	0	0
33	लक्षद्वीप		0	70.92	0	0	23.4	0	0
34	पुदुचेरी		0		0		0	0	0
	कुल	**1605800.402**	**1088993.874**	**2988986.138**	**5581648.079**	**2933105.724**	**4788544.378**	**158433.932**	**297224.110**

*राज्य अंश का उपयोग शामिल है